भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1707

जिसका उत्तर सोमवार, 10 मार्च, 2025/19 फाल्गुन, 1946 (शक) को दिया गया

ऋण को बट्टे खाते में डालने से लाभ प्राप्त करने वाली कंपनियों की सूची

1707. श्री शफी परम्बिल:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से निजी कंपनियों द्वारा लिए गए ऋणों की कंपनीवार सूची क्या है;

(ख) क्या बैंकों ने पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान किसी कंपनी द्वारा लिए गए ऐसे ऋणों को बट्टे खाते में डाल दिया है और यदि हां, तो ऐसे ऋणों को बट्टे खाते में डालने के क्या कारण हैं;

(ग) पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान बैंकों द्वारा बट्टे खाते में डाले गए ऋणों की कुल राशि कितनी है; और

(घ) उन कंपनियों की सूची क्या है जिन्होंने ऋण माफी को बट्टे खाते में डालने से क्या प्राप्त किया?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (घ): बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के दिशा-निर्देशों तथा बैंकों के बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के बट्टे खाते डालते हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ वे आस्तियां भी शामिल हैं जिनके संबंध में चार वर्ष पूरे होने पर पूर्ण प्रावधानीकरण किया गया है। इस प्रकार से बट्टे खाते डाले जाने से उधारकर्ताओं को देयताओं से छूट नहीं मिलती है और इसलिए, इससे उधारकर्ता को कोई लाभ नहीं होता है। बैंक अपने पास उपलब्ध विभिन्न वसूली तंत्रों जैसे कि सिविल न्यायालयों या ऋण वसूली अधिकरणों में वाद दायर करके, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम के तहत कार्रवाई करके, दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता के तहत राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण में मामले इत्यादि दर्ज करके उधारकर्ताओं के विरुद्ध शुरू की गई वसूली कार्रवाइयों को जारी रखते हैं।

निजी कॉरपोरेट को दिए गए ऋण की कंपनी-वार सूची के संबंध में, आरबीआई ने सूचित किया है कि आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45ड़ के उपबंधों के तहत, उधारकर्ता-वार ऋण संबंधी सूचना का प्रकटीकरण प्रतिबंधित है। धारा 45ड़ में उपबंध है कि बैंक द्वारा प्रस्तुत ऋण संबंधी सूचना को गोपनीय माना जाता है और इसे प्रकाशित या अन्यथा प्रकट नहीं किया जाना चाहिए।

आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, भुगतान बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों ने ₹1,70,270 करोड़ के एनपीए को बट्टे खाते डाला है, जिसमें से ₹68,366 करोड़ 'बड़े उद्योगों और सेवाओं' के एनपीए से संबंधित हैं।

*****